23.9.19 पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित हैं/ प्रति. नं. 1 की ओर से श्री प्रदीप अहीर एड. द्वारा वकालतनामा एवं इकबालिया जवाब पेश किया। आ.का. द्वारा फर्द के साथ रिपोर्ट पटवारी पेश की जो शामिल मिसल की गई। श्रीमान P.O. साहब फर्द के बाबत पत्रावली हो वास्ते साक्ष्य वादी पत्रावली दि. 3.10.19 को पेश हो।

3.10.19 पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित हैं/ वास्ते साक्ष्य वादी अवसर चाहा। वास्ते साक्ष्य दि० 14.10.19 को पेश हो।

14/10/19 पत्रावली पेश हुई / ~~अधिवक्तागण द्वारा~~ न्यायिक [illegible] / P.O. [illegible] मीटिंग / बाहर / अवकाश में। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 17.10.19 शपथ पत्र आ.का.र. ही को पेश हो।

17.10.19 पत्रावली पेश। वकील वादी एवं वादी उपस्थित हैं। गवाह शोभाराम पुत्र रामचंद्र अहीर का शपथ-पत्र पेश हुआ। शामिल पत्रावली हो।

शोभाराम

तारीख हुक्म	(2) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बहस विद्वान अधिवक्ता वादी सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता द्वारा वादपत्र के तथ्यों को दोहरा कर निवेदन किया कि कन्हीराम पुत्र देवीलाल तथा कन्हीराम पुत्र धौंली एक ही व्यक्ति है। कन्हीराम के पिता का नाम देवीलाल ही थी कन्हीराम पुत्र धौंली नामक कोई व्यक्ति वादी के परिवार में नहीं है। वादी का ही खाते में दो बार नाम लिख कर एक बार सही वल्दीयत तथा एक बार धौंली का पुत्र अंकित कर दिया गया थी प्रतिवादी द्वारा इकबालिया जवाब पेश किया गया थी ग्राम पंचायत पीपल्दा तथा पटवारी हल्का पीपल्दा की जाँच रिपोर्ट संलग्न की जान्दुकी है प्रदर्श-1 से प्रदर्श-5 संलग्न थी अतः दावा वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वादी की वल्दियत धौंली के स्थान पर देवीलाल दुरुस्त कर हिस्सा भी दुरुस्त किया जावे। अर्थात् कन्हीराम पुत्र धौंली का नाम हटाया जाकर वादी के नाम उक्त हिस्सा दर्ज किया जावे। बाद बहस हमने पत्रावली का (हस्ताक्षर)	

तारीख हुक्म	(3) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आद्योपान्त गहन अवलोकन किया। वादीगण द्वारा वादपत्र के कथन, वांच्छित अनुतोषादि, प्रतिवादी नम्बर 1 के इकबालिया जवाब, व वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर सम्यक विधिसंगत विचार किया गया। हस्ब प्रदर्श-1 वाके मौजा ईसरपुरा की भूमि किता 10 रकबा 8.51 हे० पर वादी की पैतृक भूमि में सही नाम व वल्दीयत दर्ज है। हस्ब प्रदर्श-2 कन्हीराम पुत्र धौली व वादी का नाम दर्ज है वादी व गवाह व वादी का कथन है, कि कन्हीराम पुत्र धौली कोई है ही नहीं। वादी का हिस्सा भी कन्हीराम पुत्र धौली के रूप में अलग नाम दर्ज व वल्दीयत बदल कर लिख दिया गया है। हस्ब प्रदर्श-3 वादी का सही नाम दर्ज है प्रदर्श-4 व प्रदर्श-5 प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत पीपल्दा दि० 29.8.19 व प्रदर्श-5 रिपोर्ट पटवारी हल्का पीपल्दा दिनांक 28.8.19 भी उक्त वादी के कथनों की पुष्टि करते है। इसके अतिरिक्त वादी द्वारा आधार कार्ड नं० 9282,4938,0399 की छाया प्रति पेश की जिसमें तथा वोटर आई-डी नं० RJ/19/115/0476168 जारी दि० 15.5.95 विधान सभा रामगंजमंडी में वादी की वल्दीयत देवीलाल ही दर्ज है। 13/11/19	

तारीख हुक्म	(5) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम और हुक्म की तामील में जारी हुआ
	प्रकरण में प्रस्तुत शपथ पत्र, एवं दस्तावेज तथा रिपोर्ट पटवारी व प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत से यह प्रमाणित होता है, कि देवी कन्हीराम पुत्र देवीलाल व कन्हीराम पुत्र धौंली एक ही व्यक्ति थे। अतः उपरोक्त के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि ग्राम ईश्वरपुरा की भूमि ख०नं० 179, 187, 190, 196, 197, 199, 474 55, 75, 76, 85. किता 11 रकबा 8.06 है० पर कन्हीराम पुत्र धौंली का नाम हटा कर कन्हीराम पुत्र देवीलाल नाम दर्ज किया जाकर हिस्सा व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। तदनुसार डिक्री मुर्तिब हो। निर्णय आज दिनांक 17-10-2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया। 17/10/19 (चिमनलाल मीणा) उपखण्ड अधिकारी [illegible]	

Yud I/Civil
Part IV-10

अंतिम डिकरी ब मुकद्दमे ~~दुकानदारी~~

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत— उपखण्ड अधिकारी —मुकाम— रामगंजमण्डी
ब इजलास— चिमनलाल मीणा (R.A.S.)

कन्हीराम —बनाम— जगदीश

दावा बाबत— 88, 89, 188 R.T. Act 1955

मुकद्दमा नं.— 101 —सन्— 2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू— चिमनलाल मीणा (R.A.S.)

बहाजरी— श्री श्यामाराम अग्रवाल एड० —मिनजानिब मुद्दई व— श्री प्रदीप अग्रवाल एड०

—मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि
दावा वादी० स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि ग्राम ईश्वरपुरा की भूमि खसरा नं० 179, 187, 190, 196, 197, 199, 474, 55, 75, 76, 85 किता 11 रकबा 8.06 है. पर कन्हीराम पुत्र घांसी का नाम हटाया जाकर कन्हीराम पुत्र देवीलाल का नाम दर्ज किया जाकर हिस्सा व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे।

चीज— × —मुबलिग— × —बाबत— ×

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह— × —फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक— × —को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख— 17 —माह— 10 —2019 को जारी की गई।

दस्तखत— [signature] 17/10/19
ओहदा— उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

मुहर

मुद्दई		रुपया	पं.	मुद्दायलाह		रुपया	पं.
स्टाम्प अर्जीदावा	..			स्टाम्प वकालतनामा	..		
स्टाम्प वकालतनामा	..			स्टाम्प अर्जी	..		
स्टाम्प वजह सबूत	..			महनताना वकील पर	..		
महनताना वकील	..			खर्चा गवाहान	..		
खर्चा गवाहान	..			फीस कमिश्नर	..		
फीस कमिश्नर	..			बाबत इजराय हुक्मनामा	..		
बाबत इजराय हुक्मनामा	..			मुतफर्रिक	..		
मुतफर्रिक	..						
मीजान..				मीजान..			

नोट:—इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

[signature] 17/10/19
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी